उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, रामगढ़

(गोपनीय शाखा)

:: आदेश ::

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ''कोराना वायरस (COVID-19)'' को विश्वव्यापी महामारी घोषित किया जा चुका है तथा भारत सरकार एवं झारखण्ड सरकार द्वारा इस विश्वव्यापी महामारी के रोकथाम एवं बचाव हेतु कई तरह के दिशा–निर्देश जारी किये गए है। भारतीय दण्ड संहिता (IPC) की धारा 268 या 269 के अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि ऐसा विधि विरूद्ध अथवा उपेक्षापूर्ण कार्य करेगा, जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रम फैलना संभाव्य हो उस व्यक्ति को छः मास अवधी तक का कारावास अथवा रू0 200/–(दो सौ) रूपये तक के जूर्माना से दंडित किया जा सकता है। सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादन अधिनियम (कोटपा) 2003 की धारा–4 के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थलों पर उपयोग प्रतिबंधित है। सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध का उल्लघंन करने पर दंड स्वरूप्प 200/ रूपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है।

वर्त्तमान में कोरोना महामारी के आलोक में व इससे बचाव/रोकथाम हेतु सम्पूर्ण रामगढ़ जिले में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रकार का तम्बाकू पदार्थ यथा सिगरेट, बीडी, खैनी, गुटका, पान मसाला व जर्दा इत्यादी का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है।

कोरोना वायरस Body Fluid से फैलता है, अतः इसकी रोकथाम हेतु किसी भी सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ह0/–

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
रामगढ़।

ज्ञापांक 305 /गो0 रामगढ़, दिनांक 10/04/2020

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, रामगढ़/उप विकास आयुक्त, रामगढ़/अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, रामगढ़/पतरातू/जिला परिवहन पदाधिकारी, रामगढ़/जिला नोडल पदाधिकारी, तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम/सिविल सर्जन, रामगढ़/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, रामगढ़/जिला शिक्षा पदाधिकारी, रामगढ़/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रामगढ़ जिला/सभी अंचल अधिकारी, रामगढ़ जिलाा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी आई0सी0डी0एस0/ डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0, रामगढ़/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जन–सर्म्पक पदाधिकारी, रामगढ़ को निदेशित किया जाता है कि सभी प्रीन्ट एवं इलेक्ट्रोनिक मिडिया मे उक्त ओदश का मिडिया कवरेज कराना सुनिश्चित करेंगें।

प्रतिलिपि : कार्यपालक निदेशक, सोशियों इकानोमिक एण्ड ऐजुकेशनल डेवलपमेंट सोसायटी (सीड्स), झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, एन0सी0डी0 सेल, झारखण्ड रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।

10/04/2020

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
रामगढ़।